रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4018]	नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 17, 2019/अग्रहायण 26, 1941
No. 4018]	NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 17, 2019/AGRAHAYANA 26, 1941

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4477 (अ).—केन्द्र सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का 11) धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सं. का.आ. 3245(अ), दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 के जिरए भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित कोयला मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्न संशोधन करती है जो इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद प्रभावी होंगे, अर्थात्:

दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 की अधिसूचना में निम्न क्रम संख्याओं में इन प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात्:

क्र.सं.	कोयला खान/ब्लॉक	पूर्व आवंटिती	राज्य
	का नाम		
38	नार्थ धाडू	झारखंड इस्पात प्रा. लि., पवंजय स्टील एंड पावर लि., इलेक्ट्रोस्टील	झारखंड
		कास्टिंग लि., आधुनिक एलॉयज एंड पावर लि.	
42	मच्छाकाटा	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लि., महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी	ओडिशा
		बोर्ड	
45	राधिकापुर (वेस्ट)	रूंगटा माइंस लि., ओसीएल इंडिया लि., ओसिएन इस्पात लि.	ओडिशा
46	राधिकापुर (ईस्ट)	टाटा स्पंज आयरन लि., स्काउ इंडस्ट्रीज लि., एसपीएस स्पंज आयरन लि.	ओडिशा
48	चेंदीपाडा	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन लि., छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट	ओडिशा
		कॉरपोरेशन लि., महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	

6439 GI/2019 (1)

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(ii)]

56	सेरेग्राहा	आर्सेलर मित्तल इंडिया लि., जीवीके पावर (गोविंदवाल साहिब) लि.	झारखंड
58	माजरा	गोंडवाना इस्पात लि.	महाराष्ट्र

[फा. सं. 13016/9/2014-सीए III/सीबीए-II] राजेश कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2019

S.O. 4477(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 7 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015) read with Section 21 of General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby makes following modification in the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3245(E), dated 19th December, 2014, with effect from publication of this notification, namely:—

In the notification dated 19th December, 2014, the entries at following serial numbers shall stand omitted, namely:—

Sl. No.	Name of Coal Mine / Block	Prior Allottee	State
38	North Dhadu	Jharkhand Ispat Pvt. Ltd., Pavanjay Steel & Power Ltd, Electrosteel Casting Ltd., Adhunik Alloys & Power Ltd.	Jharkhand
42	Machhakata	Gujrat State Electricity Corporation Ltd., Maharashtra State Electricity Board	Odisha
45	Radhikapur (West)	Rungta Mines Ltd, OCL India Ltd., Ocean Ispat Ltd.	Odisha
46	Radhikapur (East)	Tata Sponge Iron Ltd., Scaw Industries Ltd., SPS Sponge Iron Ltd.	Odisha
48	Chendipada	Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Limited, Chhatisgarh Mineral Development Corporation Limited, Maharashtra State Power Generation Corporation Ltd.	Odisha
56	Seregraha	Arcelor Mittal India Ltd., GVK Power (Govindwal Sahib) Ltd.	Jharkhand
58	Majra	Gondwana Ispat Ltd.	Maharashtra

[F. No. 13016/9/2014-CAIII/CBA-II] RAJESH KUMAR SINHA, Jt. Secy.